

## विषय सूची

इस अंक में...

### प्रश्नोत्तर - 1

● ओडिशा सरकार ने 'ग्रीन महानदी मिशन' आरंभ किया	1
● रेमन मैगसेसे पुरस्कार- 2018	1
● मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस	2
● संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान का निधन	2
● 2018 एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक	3
● मॉरीशस में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला	3
● विश्व मानवता दिवस	4
● अध्यास मैत्री- 2018	4
● पिच ब्लैक- 2018	5
● पूर्व जनरल दलबीर सिंह सुहाग को अमेरिकी सरकार द्वारा सम्मानित	5
● राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार- 2018	6
● 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण	6
● भू-जल स्तर की स्थिति चिंताजनक	7
● आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित	8
● अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस	11
● भारत में भौगोलिक संकेत	12
● शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर भूमिगत झील की खोज की	14
● आर्कटिक बर्फ पिघलने से भारतीय मॉनसून प्रभावित हो सकता है: अध्ययन	14
● विश्व स्तनपान सप्ताह	15
● स्तनपान से सम्मिलित गम्भीर चुनौती: यूनिसेफ	17
● स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	18
● विद्या लक्ष्मी पोर्टल	19
● देश का पहला खेल विश्वविद्यालय	20
● सरकार ने पूरा किया उज्ज्वला का लक्ष्य	21
● कड़कनाथ मुर्गे को मिला जीआई टैग	22
● गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश को गणितका 'नोबेल'	23
● नीति आयोग की भारतीय हिमालयन क्षेत्र पर निरंतर विकास रिपोर्ट	24
● पिंगली वैंकेया भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर की 141वीं जयंती	25
● भारत छोड़े आंदोलन 8 अगस्त, 1942	26
● महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून	26
● ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स- 2018	27
● सेवा भोज योजना	28

## प्रश्नो उत्तर - २

● लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक, 2018	30
● पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा	30
● भारत-रवांडा के मध्य समझौता	31
● पोषण अभियान	32
● व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) बिल 2018	32
● बांगला के रूप में राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित	33
● नई दिल्ली में दूसरा युवा अधीक्षक पुलिस सम्मेलन आयोजित	34
● भारत/अमेरिका के मध्य (कॉम्पकासा) करार	34
● रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा रणनीतिक साझेदारी संबंधी दिशानिर्देश	35
● यूआईडीएआई द्वारा फेस प्रमाणीकरण की घोषणा	35
● पहली बार वैज्ञानिक गेहूं जीनोम	36
● सरकार जेर्इ (JEE) (उन्नत) सुधारों के लिए भास्कर रामर्मित समिति का गठन	36
● चिकित्सा बीमा पॉलिसी के तहत मानसिक बीमारी को कवर करने के लिए बीमाकर्ता: आईआरडीएआई	37
● मिजोरम में ब्रू व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन पर समझौते	37
● नो तंबाकू दिवस 2017 पुरस्कार	38
● तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्देश	38
● दवा के खतरे से निपटने के लिए पंचकुला में केंद्रीकृत सचिवालय स्थापित	39
● राष्ट्रपति ने सात राज्यों के गवर्नर नियुक्त	39
● लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ	40
● ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018	42
● पदोन्नति में आरक्षण वैध/अवैध	44
● मणिपुर में 'बाहरी लोगों' विधेयक पर हिंसा	47
● होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक	48
● ब्रिटेन ने भारतीय मूल के लोगों में अंग प्रत्यारोपण की समस्याओं से निपटने के लिए नया कानून बनाया	49
● अंग प्रत्यारोपण का भारत के संदर्भ में मूल्यांकन	49
● ईरान एक्शन ग्रुप	51
● भारत ने नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु सहायता राशि जारी की	52
● एमर्सन मनांगाग्वा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति निर्वाचित	53
● 123वां संविधान संशोधन विधेयक	54
● राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 117 जिलों का चयन	55
● राज्यसभा के उपसभापति	56
● भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता पर मिशन सत्यनिष्ठ को लॉन्च किया	60

## प्रश्नो उत्तर - ३

● इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस हेतु MoU पर हस्ताक्षर	61
● अर्थ ऑवर शूट डे	61
● शेल गैस पेट्रोलियम में शामिल	62

● कोल बेड मीथेन	64
● समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि	64
● डीटीएबी उप-समिति की सिफारिश	64
● प्रधानमंत्री शोध फैलो योजना का विस्तार	65
● गूगल द्वारा एआई चिप्स का अनावरण	65
● बॉम्बाली: नया इवोला वायरस	66
● राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम	66
● एशियाई देशों को फैलैश बाढ़ चेतावनी: डब्लूएमओ	66
● गन्ने के रस, बी-मोलास से सीधे इथ्रेनॉल बनाने की अधिसूचना	67
● विश्व हेपेटाइटिस दिवस	67
● NASAMS-II	68
● थर्मल पावर प्लांट के पुनर्जीवन हेतु पहल	69
● वी-46-6 और वी 29 एस 2	69
● अशोक लोलैंड ने भारतीय सेना को $10\times10$ भारी वाहनों की आपूर्ति की	70
● रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण-I	70
● स्कूटायड बुमन बॉडीम: नया अंग	71
● डीप महासागर मिशन	71
● डीएसी को तट रक्षक के लिए 8 फास्ट पेट्रोल वेसेल्स का अधिग्रहण	72
● आंध्र प्रदेश में दुनिया का पहला थर्मल बैटरी प्लांट	72
● स्टार्ट-अप अकादमिक गठबंधन	73
● जिंगकॉन्गा-2	73
● मैत्री 2018 : संयुक्त सैन्य अभ्यास	74
● RISECREEK	74
● चंद्रयान-2 मिशन को इसरो द्वारा स्थगित	74
● भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018	75
● अजय दत्ता आईसीएनएन सीसीएनएसओ परिषद के सदस्य	76
● अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि	76
● एसबीआई/एनएचएआई के बीच समझौता	77
● जीएसटी काउंसिल ने डिजिटल लेनदेन के लिए कैशबैक की घोषणा की	77
● कृषि से केवल 23% ग्रामीण आय: नाबार्ड 2017-18 सर्वेक्षण	78
● एटीजीएम हेलीना ने पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण	78
● स्मार्ट एंटी एयरफील्ड	79
● नई मानक आपरेटिंग प्रक्रिया	79
● एचएएल ट्रेइस प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने वाला पहला पीएसयू	80
● ‘इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म’	80
● बेहतर जल प्रबंधन समय की जरूरत	81
● डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर	83
● डेटा संरक्षण पर न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट	84
● भारत में वन्य जीव संरक्षण: संक्षिप्त अवलोकन	85
● बायोफ्यूल नीति 2018 को लागू करने वाला पहला राज्य	90
● मानव कोशिकाओं के नए आकार की खोज	92
● रियायती वित्त योजना को मंजूरी	92

● नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन	93
● सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण	93
● चीन का हाई-रिजॉल्यूशन उपग्रह लॉन्च	94
● समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु सख्त मजदूरी नीति लागू करने की जरूरत: आईएलओ	94
● IMPRINT-2	95
● पीएफएमएफ संपर्क पोर्टल का शुभारंभ	95
● पहले हम्बोल्ट पेंगुइन का जन्म	96
● भारत चुना गया प्रसारण विकास के लिए एशिया-प्रशांत संस्थान का अध्यक्ष	97
● भारत में पहली बायो-फ्यूल फ्लाइट	97
● भारत का पहला ब्लॉकचेन	98
● गंगा नदी पर जल मार्ग परियोजना हेतु विश्व बैंक से समझौता	99
● स्टार्ट-अप इंडिया का अकादमिक गठबंधन कार्यक्रम	99
● राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन	102

#### प्रृष्ठा ४

● अभिशासन	105
-----------	-----

#### मुख्य परीक्षा विशेष (आपदा प्रबंधन)

● केरल में बाढ़	112
● भारत में जल प्रबंधन और उसकी चुनौतियां	117

#### राष्ट्रीय मुख्य परीक्षा विशेष

● मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना	120
● स्मरणीय तथ्य	125
● खेल परिचय एवं नीतिगत ढाँचा	127
● राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्	129
● राज्य की खेल नीति- 2012	130
● राज्य की खेल नीति, 2013	131
● राजस्थान की प्रमुख खेल संस्थाएं	131
● भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं	131

#### प्रसुख स्वस्थानायिक मुद्री स्पैसिटी लैख

● आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	133
● भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की आवश्यकता और चुनौतियां	136

# प्रश्न पत्र - 1



## ओडिशा सरकार ने 'ग्रीन महानदी मिशन' आरंभ किया

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 'ग्रीन महानदी मिशन' का शुभारंभ किया।
  - मुख्यमंत्री ने पश्चिमी ओडिशा स्थित संबलपुर जिले के दौरे के दौरान महानदी के किनारे पौधारोपण करके इस मिशन की शुरुआत की।
  - सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से मानसून के दौरान अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आग्रह किया।
- ग्रीन महानदी मिशन**
- 'ग्रीन महानदी मिशन' वृक्षारोपण अभियान है, जिसके तहत महानदी के किनारे लगभग 2 करोड़ पौधारोपण किये जाने हेतु लोगों को प्रेरित किया जा रहा है।

उद्देश्य

- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महानदी के किनारे हो रहे मृदा अपरदन को रोकना तथा भूमिगत जल भंडार में वृद्धि करना है।
- इस मिशन का उद्देश्य महानदी के अस्तित्व को बनाये रखना तथा उसकी जैव विविधता को संरक्षित करना भी है।

मिशन के मुख्य बिंदु

- वर्ष भर तक चलने वाले इस अभियान में संबलपुर, बुल्ला, हीराकुंड समेत रेंगाली से लेकर देवगांव तक करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे।
- महानदी तट में भी पौधारोपण करने समेत इन पौधों की सुरक्षा के लिए कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा।
- इसी के तहत अब पौधारोपण के बाद पौधों के चारों तरफ ट्री गार्ड लगाया जाएगा जिसमें बीजू युवा वाहिनी सहयोग करेगी।
- इस मिशन का उद्देश्य महानदी की सुरक्षा व इसे पुनर्जीवित करना और हरा भरा बनाना है।
- इस अवसर पर सैकड़ों महिला-पुरुष समेत युवाओं ने मानव शृंखला बनाकर राज्य की जीवनधारा की सुरक्षा व स्वच्छ बनाने के साथ-साथ शहर को हरा-भरा बनाने के लिए निरंतर पौधारोपण करने का संकल्प लिया।

महानदी के बारे में जानकारी

- महानदी का उद्गम धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है।

- महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। यह प्रवाह प्रणाली के अनुरूप स्थलखंड के ढाल के स्वभाव के अनुसार बहती है, इसलिए एक स्वयं-भू जलधारा है।
- नदियों की जलक्षमता के हिसाब से यह गोदावरी नदी के बाद दूसरे क्रम पर है।
- छत्तीसगढ़ में 286 कि.मी. की यात्रा के इस पड़ाव में महानदी सीमांत सीढ़ियों से उत्तरते समय छोटी-छोटी नदियों पर प्रपात भी बनाती हैं।
- महानदी की अनेक सहायक नदियाँ हैं। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो महानदी में शिवरीनारायण में मिलती है।
- नोट: प्राचीन काल में इस नदी के जलमार्ग से कलकत्ता तक वस्तुओं का आयात-निर्यात हुआ करता था।

## रेमन मैगसेसे पुरस्कार- 2018

चर्चा में क्यों?

- दो भारतीय भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक उन छह विजेताओं में से हैं जिन्हें 2018 रेमन मैगसेसे पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है, जिन्हें अक्सर नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण के रूप में जाना जाता है।
- अन्य पुरस्कार विजेताओं में यू.के. छांग (कंबोडिया), मारिया डी. लॉर्डस मार्टिन्स क्रूज़ (पूर्वी तिमोर), हॉवर्ड डी. (फिलीपींस) और वो थिय होआंग येन (वियतनाम) हैं।
- विजेताओं में से प्रत्येक को प्रमाण पत्र, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की छवि और नकद पुरस्कार प्राप्त है।
- अगस्त 2018 में फिलीपींस के सांस्कृतिक केंद्र में औपचारिक प्रस्तुति समारोह के दौरान उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।



### भारत वाटवानी

- वह एक मनोचिकित्सक हैं, जो मुंबई में सड़कों पर रहने वाले मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए काम करते हैं।
- यह पुरस्कार भारत के मानसिक रूप से पीड़ित निराधार को गले लगाने और यहां तक कि सबसे अधिक विचलित वर्ग की मानव गरिमा को बहाल करने और उनके समर्पण को स्वीकार करने में उनके साहस और करुणा को मान्यता देता है।

### सोनम वांगचुक

- वह लद्दाख से शैक्षणिक सुधारक हैं।
- 1988 में, उन्होंने लद्दाखी छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए लद्दाख में शिक्षा और सांस्कृतिक आंदोलन का प्रारंभ किया है।
- पुरस्कार दूरस्थ लद्दाख क्षेत्र में सीखने के सिस्टम के अपने विशिष्ट व्यवस्थित, सहयोगी और समुदाय संचालित सुधार को मान्यता देता है, जिसने युवाओं के जीवन के अवसरों को बेहतर बनाने में मदद की है।
- फिल्म '3 इडियट्स' में आमिर खान के चरित्र, फनसुक वांगदू सोनक वांगचुक से प्रभावित माना जाता है।

### रेमन मैगसेसे पुरस्कार के विषय में

- यह एशिया का सर्वोच्च सम्पादन है और इसे अक्सर नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है।
- यह 1957 में न्यूयॉर्क शहर आधारित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपीन सरकार के द्वारा फिलीपीन के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में स्थापित किया गया था, जो मार्च 1957 में हवाई आपदा में मारे गए थे।
- यह सालाना एशिया क्षेत्र से व्यक्तियों या संगठनों को उनकी परोपकारी सेवा के लिए दिया जाता है।
- इसमें पुरस्कार प्राप्तकर्ता को रेमन मैगसेसे, नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

## मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस

### मुद्दा क्या है?

- मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है।
- इसमें साल, ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा 'बच्चों और युवाओं की तस्करी' नाम से रिपोर्ट जारी की गई है।
- इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि मानव तस्करी के पीड़ितों में हर तीसरा व्यक्ति एक बच्चा होता है।
- यह तस्करी वाले बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों और बाल पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और संभावित कार्रवाई के पहल पर ध्यान आकर्षित करता है।

### पृष्ठभूमि:

- मानव तस्करी मनुष्यों का व्यापार है जो आमतौर पर जबरन श्रम, वाणिज्यिक यौन शोषण या अन्य लोगों के लिए यौन दासता के उद्देश्य से किया जाता है।



- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुमान है कि दुनिया भर में जबरन श्रम से 21 मिलियन लोग पीड़ित हैं।
- इस अनुमान में श्रम और यौन शोषण के लिए मानव तस्करी के पीड़ित भी शामिल हैं।
- दुनिया में हर देश मानव तस्करी से प्रभावित होता है, चाहे पीड़ितों के लिए उत्पत्ति, पारगमन या गंतव्य के देश के रूप में हो।
- मानव तस्करी पर यूएनओडीसी ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे दुनिया भर में सभी मानव तस्करी पीड़ितों में से लगभग तीसरे स्थान पर हैं।
- इसके अतिरिक्त, महिलाओं और लड़कियों में 71% मानव तस्करी पीड़ित शामिल हैं।

### मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने 30 जुलाई को संकल्प ए/आरईएस/68/192 को 2013 में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया था।
- प्रस्ताव ने घोषणा की थी कि पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

## संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी

### अन्नान का निधन

### चर्चा में क्यों?

- पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कोफी अन्नान का स्विट्जरलैंड के बर्न में निधन हो गया।
- वे 80 वर्ष के थे तथा उन्होंने 1997 से 2006 तक दो अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के सातवें महासचिव के रूप में कार्य किया था।
- वह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनने वाले पहले अश्वेत अफ्रीकी थे और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों में से ही चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे।

# प्रश्न पत्र - 2



## लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक, 2018

### चर्चा में क्यों?

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कानून के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपायों के संबंध में लोकसभा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2018 को सर्वसम्मति से पारित किया है।
- यह विधेयक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 में संशोधन करना चाहता है।

### पृष्ठभूमि :

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 हाशिए वाले समुदायों को भेदभाव और अत्याचारों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह एससी / एसटी के सदस्यों के खिलाफ अपराधों को प्रतिबंधित करता है और पीड़ितों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करता है।
- 2018 में, सुग्रीम कोर्ट ने अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की थी और इस कानून के तहत आरोपी की स्वचालित गिरफ्तारी के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसने अग्रिम जमानत के प्रावधान भी पेश किए थे।
- अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोप में व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा, उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जाँच कर सकता है कि अधिनियम के तहत मामला बनता है कि नहीं।

### विधेयक की विशेषताएं :

- विधेयक में जाँच अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किसी भी प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
- इसके अतिरिक्त आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के पंजीकरण के लिए प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता भी नहीं होगी।
- जिस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया है वह गया व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।

- यह प्रावधान किसी भी अदालत के किसी भी निर्णय या आदेश के बावजूद लागू होगा।
- इस प्रकार यह अप्रैल 2018 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनुसूचित जनजाति संबंधित फैसले को उलट देता है।

### अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार रोकथाम)

अधिनियम, 1989

- इसे लोकप्रिय रूप से अत्याचार रोकथाम (पीओए) अधिनियम या अत्याचार अधिनियम के रूप में जाना जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सक्रिय प्रयासों के माध्यम से हाशिए के लोगों के लिए न्याय प्रदान करना है, जिससे उन्हें गरिमा, आत्म-सम्मान के साथ जीने का अवसर भी मिल सके।
- इस अधिनियम में आपराधिक अपराधों को लेकर विभिन्न अनुच्छेदों या व्यवहारों से संबंधित 22 अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है और एससी / एसटी समुदाय के आत्म सम्मान और सम्मान को तोड़ दिया गया है।
- इसमें उनके प्रति होने वाले विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति भेदभाव के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को समाप्त करने की बात की गयी है।
- यह अधिनियम सामाजिक संरचना से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को भी सुरक्षा प्रदान करता है।
- अधिनियम की धारा 14 प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय का प्रावधान करता है।

**प्रश्न:** एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) संशोधन विधेयक की धाराओं पर चर्चा कीजिए, जो हाल के दिनों में गहन जांच के अधीन है? सरकार द्वारा विधेयक को संशोधित करना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को शून्य करने के समान है। परीक्षण करें। (250 शब्द)

### पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा

### चर्चा में क्यों?

- संसद ने संविधान में 123वां संशोधन विधेयक पारित किया, जो पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है।
- यह विधेयक अब राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। (संविधान के अनु. 368 के अनुसार)।
- संसद ने पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 के लिए राष्ट्रीय आयोग

को निरस्त करने के लिए अलग-अलग बिल पास किए क्योंकि संविधान (123 वां संशोधन) विधेयक लागू होने के बाद यह अप्रासंगिक हो जाएगा।

#### **बिल की मुख्य विशेषताएँ :**

- संविधान संशोधन (123 वां संशोधन) विधेयक अनुसूचित जातियों (एनसीएससी) के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसटी) के समान एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- यह राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के पारामर्श से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है।
- यह बिल संविधान के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सुरक्षा उपायों की जाँच और निगरानी करने के लिए एनसीबीसी के कर्तव्यों का उल्लेख करता है।
- यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिसूचना के खिलाफ किसी शिकायत की जाँच करते समय नागरिक अदालत की शक्तियों के साथ एनसीबीसी को शक्तियां भी प्रदान करता है।

#### **पृष्ठभूमि**

- इस संवैधानिक संशोधन विधेयक को पहले दो तिहाई बहुमत के साथ पारित किया गया था, जिसमें सभी 406 सदस्य पक्ष में मतदान किया।
- इसने राज्यसभा द्वारा वैकल्पिक संशोधनों के साथ-साथ कुछ और परिवर्तनों को शामिल करके संशोधित संशोधनों द्वारा विधेयक को पारित किया था।
- लोकसभा द्वारा पारित बिल को फिर से पूर्ण बहुमत के साथ राज्यसभा में पारित किया तथा सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत (मौजूद और मतदान सदन में उपस्थित सभी 156 सदस्य) ने बिल के पक्ष में मतदान किया।
- **नोट:** अप्रैल 2017 (बजट सत्र 2017) में लोकसभा ने संविधान (123 वां संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया था और इसे राज्यसभा में भेज दिया था। लेकिन जुलाई 2017 (2017 मानसून सत्र के दौरान), राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल द्वारा उठाए गए कुछ संशोधनों को शामिल करने के बाद बिल पारित किया और संशोधन की पुष्टि के लिए इसे लोकसभा में वापस भेज दिया गया।

- संशोधन में तीन सदस्यीय एनसीबीसी से पांच सदस्यीय संरचना बनायी गयी ताकि अल्पसंख्यक समुदाय से महिला और व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जा सके।
- यह भी अनिवार्य था कि सभी पांच सदस्यों को अनिवार्य रूप से ओबीसी समुदायों से होना चाहिए।
- इस सूची में सिफारिश करने में राज्यों को महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाया गया है जिससे कि संघीय ढांचे को मजबूती मिले।
- सुझाए गए संशोधनों में, केंद्र सरकार एनसीबीसी में पिछड़े वर्गों

से एक महिला सदस्य नियुक्त करने पर सहमत हुई थी। अन्य संशोधन अस्वीकार कर दिए गए (भगोड़ा आर्थिक अपराध)।

#### **भारत-रवांडा के मध्य समझौता**

##### **चर्चा में क्यों?**

- भारत और रवांडा ने रक्षा, व्यापार, कृषि, चमड़े और संबद्ध उत्पादों और डेयरी के क्षेत्र में आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- रवांडा की राजधानी किंगाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- प्रधानमंत्री मोदी रवांडा जाने के लिए पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।

##### **द्विपक्षीय बैठक की मुख्य विशेषताएँ**

- प्रधानमंत्री और कागामे ने व्यापक बातचीत की और द्विपक्षीय सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों पर चर्चा की।
- भारत ने रवांडा को आश्वासन दिया कि भारत अपने विकास के प्रयासों को जारी रखेगा। भारत ने औद्योगिक पार्कों और किंगाली स्पेशल इकोनोमिक जोन (एसईजेड) के विकास और रवांडा में तीन कृषि परियोजनाओं के विकास के लिए रवांडा को 200 मिलियन अमरीकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया।
- प्रधानमंत्री ने रवांडा में पहले भारतीय राजनयिक मिशन के उद्घाटन की भी घोषणा की, जो दोनों देशों की सरकारों के बीच संचार स्थापित करने और कंसुलर, पासपोर्ट और बीजा के लिए सुविधाएँ भी सक्षम करने में मदद करेगा।
- दोनों देश बच्चों के लिए डिजिटल लर्निंग माध्यम सक्षम करने के लिए टास्क फोर्स स्थापित करने पर भी सहमत हुए।

##### **हस्ताक्षरित समझौते हैं :**

**कृषि और पशु संसाधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर संशोधन:**

- यह अनुसंधान, तकनीकी विकास, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के साथ-साथ निवेश पर जोर देने के साथ-साथ कृषि और पशुधन में सहयोग पर केंद्रित है।
- क्षमता निर्माण, रक्षा, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सहयोग रक्षा पर समझौता।

**वर्ष 2018-22 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर एमओयू:**

- संगीत और नृत्य, रंगमंच, प्रदर्शनी, संगोष्ठियों और सम्मेलन, पुरातत्व, अभिलेखागार, पुस्तकालय, संग्रहालय, साहित्य, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण इत्यादि।

**आरएबी और आईसीएआर के बीच कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर एमओयू:**

- डेयरी में प्रशिक्षण, और अनुसंधान, डेयरी उत्पादों की प्रसंस्करण, गुणवत्ता और सुरक्षा, पशुधन में जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप।

# प्रश्न पत्र - 3



## इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस

### मुद्दा क्या है :

- निवेश भारत और व्यापार फ्रांस (Invest India & Business France) ने भारत और फ्रांस के स्टार्ट-अप के बीच निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- समझौता ज्ञापन, उद्यमों को व्यावहारिक निवेश जानकारी प्रदान करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह उन अवसरों का पीछा करने वाली कंपनियों का भी समर्थन करेगा जो दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक योगदान देती है।

### लक्ष्य :

- समझौते का उद्देश्य उद्यमों को व्यावहारिक निवेश जानकारी प्रदान करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा देना है।
- यह उन अवसरों का पीछा करने वाली कंपनियों का भी समर्थन करेगा जो दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक योगदान देते हैं।

### समझौते की मुख्य विशेषताएँ :

- निवेश भारत और बिजनेस फ्रांस, संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने और पारिस्थितिक तंत्र सहयोग शुरू करने तथा संस्थागत ज्ञान को मजबूत करने के अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए सहयोग करेंगे।
- दोनों पक्ष फ्रांस और भारतीय निजी क्षेत्र के व्यवसायों के बीच अवसरों की पहचान करेंगे और इनबाट डंक कंपनियों और स्टार्टअप की सुविधा के लिए एक समर्पित समर्थन संरचना तैयार करेंगे।
- यह फ्रांसीसी और भारतीय बाजारों में पैर बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस से नए व्यवसायों और नवाचारों के लिए एक निर्बाध सुविधा चैनल प्रदान करेगा।
- यह भागीदारी भारत और फ्रांस के बीच मौजूदा व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करेगी।

### निवेश भारत

- निवेश भारत, भारत सरकार के आधिकारिक निवेश संबंधी और सुविधा एजेंसी है, जो देश में निवेश की सुविधा के लिए अनिवार्य है।
- यह देश में संभावित वैश्विक निवेशकों के लिए पहला पड़ाव है।

- यह पूरे निवेश चक्र के माध्यम से निवेशकों को क्षेत्र और राज्य-विशिष्ट इनपुट और अन्य सहायता प्रदान करता है।
- मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निवेश भारत द्वारा हैंड होल्डिंग और सुविधा समर्थन जैसे सभी प्रयास किए गए।
- निवेशक को निवेश भारत टीम द्वारा प्रदान की जाने वाली समर्थन सेवाओं में शामिल है:-
  1. नियामक अनुमोदन निष्पादित करना
  2. प्रासंगिक सरकार और कॉर्पोरेट अधिकारियों के साथ बैठकें सुगम बनाना।
  3. निवेशकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए उपचारात्मक कार्यों की शुरूआत जैसी अन्य सेवाओं में निवेशकों को सुविधा प्रदान करना।

### व्यापार फ्रांस

- व्यापार फ्रांस आर्थिक मामलों और वित्त मंत्री और विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री की देखरेख में फ्रेंच सरकार की कार्यकारी एजेंसी है।
- यह 80 व्यापार आयोगों के विश्वव्यापी नेटवर्क के माध्यम से फ्रांसीसी कंपनियों और पेशेवरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास को बढ़ावा देता है।
- व्यापार फ्रांस, फ्रांस में और 70 अन्य देशों में 1400 लोगों की विशेषज्ञता को जोड़ता है।

### अर्थ ऑवर शूट डे

#### चर्चा में क्यों?

- इंसान धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों जैसे कार्बन, खाद्य पदार्थ, लकड़ी और पानी जैसे कई जरूरी चीजों को इतनी तेजी से खर्च कर रहा है कि इसकी दोबारा से पूर्ति करना असंभव सा लगने लगा है।
- इन्हीं सब चीजें की खपत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी रिसर्च संगठन 'ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क' (जीएफएन) द्वारा हर साल एक आंकड़ा पेश करता है जिससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर मौजूद इन संसाधनों के समाप्त होने की तारीख कितनी तेजी से करीब आती जा रही है।
- जीएफएन अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताता है कि पृथ्वी हर साल अपने संसाधनों का कितना हिस्सा पुनर्निर्मित कर सकती है और हम सब उसकी इस क्षमता से कितना ज्यादा संसाधनों हर साल दोहन कर रहे हैं।

## भारत में पीने लायक पानी की उपलब्धता में आ रही तेजी से कमी - नासा

- यह सिलसिला करीब 70 के दशक से शुरू हुआ और उसके बाद से लगभग हर साल-दर साल जीएफएन द्वारा संसाधनों के खर्चों के दायरा को लेकर रिपोर्ट आती रही।
- साल भर के संसाधनों का कोटा महीने की जिस तारीख को समाप्त होता है उसे ओवरशूट डे के नाम से जाना जाता है।
- हालांकि 20 साल पहले के हालातों को देखते हुए साल भर के संसाधनों का कोटा 30 सितंबर तक पूरा हो जाता था, लेकिन तेजी से बढ़ते संसाधनों के प्रयोग के कारण यह तारीख लगातार ऊपर खिसकती जा रही है और महज 10 वर्षों में ही यह तारीख खिसक कर 15 अगस्त तक आ गई है।
- हैरान करने वाली बात तो यह है कि अभी पिछले साल ही 3 अगस्त को ओवरशूट डे मनाया गया था जबकि इस साल ये दो दिन ऊपर खिसककर 1 अगस्त हो गई है।
- इसका मतलब ये है कि साल के बाकि बचे हुए 5 महीने में हम जो संसाधन इस्तेमाल करेंगे, वह भविष्य से लिया जाने वाला कर्ज है।
- जीएफएन की रिपोर्ट के मुताबिक, लोग पृथ्वी के संसाधनों का 1.7 गुना तेजी से उपयोग कर रहे हैं।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक एक औसत अमेरिकी को अपने जीवन-यापन करने के लिए 5 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी जबकि एक भारतीय 0.7 पृथ्वी के उपयोग में ही अपना जीवन गुजार सकता है।
- गौरतलब है कि हम सब जितनी तेजी से अपने आस पास की प्राकृतिक चीजों का बेपरवाही से दोहन कर रहे हैं वो भविष्य में हमारी अने वाली पीढ़ियों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होगी और ये हम सब अच्छी तरह से जानते भी हैं।
- अब यहां सवाल उठता है कि इतना सब जानने के बाद भी हम क्यों नहीं सुधरते, क्यों हम अपनी जिंदगी को आलीशान बनाने के लिए इन संसाधनों की बर्बादी करते हैं जबकि हमें भी पता है कि ये हमारे पास सीमित संसाधन मात्रा में ही हैं।

## शेल गैस पेट्रोलियम मे शामिल

### चर्चा में क्यों?

- भारत में तेल व गैस अन्वेषण को और आसान करते हुए सरकार ने अब पेट्रोलियम को फिर से परिभाषित किया है।
- इसके माध्यम से ऑपरेटरों को सभी हाइड्रोकॉर्बन के विकल्पों के दोहन का विकल्प दिया गया है, जिसमें एक क्षेत्र में पाया जाने वाला परंपरागत तेल और गैस, शेल, कोल बेड मीथेन और हाइड्रेट्स शामिल है।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन की अधिसूचना 24 जुलाई को जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पेट्रोलियम से आशय 'प्राकृतिक रूप से मिला हाइड्रोकॉर्बन जिसका स्वरूप प्राकृतिक गैस या

तरल, विस्कस या ठोस रूप, या मिश्रित रूप' से है।

- बहरहाल इसमें कोयला, लिग्नाइट और हीलियम शामिल नहीं किया गया है, जो पेट्रोलियम के साथ या कोयला या शेल के साथ पाया जाता है।
- सरकार के इस फैसले से न सिर्फ सरकारी कंपनियों, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया को फायदा मिल सकता है बल्कि वेदांत केर्न जैसी निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों को भी फायदा मिलेगा।

### महत्वपूर्ण बिन्दु :

- इस संशोधन से नए एचईएलपी के मुताबिक मौजूदा क्षेत्र के सभी हाइड्रोकॉर्बन के अन्वेषण का विकल्प खुलेगा।
- इससे हाइड्रोकॉर्बन के घरेलू अन्वेषण एवं उत्पादन में मदद मिलेगी और इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ने के साथ ही आयात पर निर्भरता भी कम होगी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 2016 में हाइड्रोकॉर्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (एचएलपी) को मंजूरी दिए जाने के बाद यह फैसला आया है।
- इसमें हाइड्रोकॉर्बन के अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए एक लाइसेंस की अनुमति दी गई थी।
- इस कदम से 117 कंपनियों को राजस्व कराने का मार्ग प्रशस्त होगा, जो नवे दौर के नेल्प की सफलता के बाद कामकाज कर रही हैं।
- नेल्प के 9 दौर के बाद कम से कम 11 सरकारी कंपनियों, 58 निजी कंपनियों और 48 विदेशी कंपनियों ने भारत में उपस्थिति दर्ज कराई है।
- हालांकि भारत को शेल रिजर्व के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 91.8 अरब वर्ग घन फुट सीबीएम का भंडार है।
- सरकार ने एकीकृत लाइसेंसिंग नीति के मुताबिक हाल ही में खोजे गए छोटे क्षेत्र (डीएसएफ-1) की नीलामी पूरी की है। बहरहाल दोनों दौर में भारत विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने में सफल नहीं हुआ।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शेल गैस को पेट्रोलियम में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम की परिभाषा को उदार बनाया है।
- इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2018 में संशोधन किया गया है।
- मंत्रालय ने इसके लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स, 1959 में संशोधन करने की योजना बनाई है।
- इससे प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनियों को उन ब्लॉक्स में शेल गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रॉडक्शन की अनुमति मिल सकेगी, जिन्हें वे पहले से ऑपरेट कर रही हैं।
- मौजूदा परिभाषा में शेल को शामिल नहीं किया गया है। इस

# प्रश्न पत्र - 4



## अभिशासन

अभिशासन का अर्थ उन सभी शासकीय व्यवस्थाओं से है जो सरकारी, बाजार तंत्र आधारित जैसे परिवारिक, जातीय, औपचारिक, अनौपचारिक संस्था, राज्य के द्वारा या फिर नियम कानून सत्ता एवं निर्णयों से निर्धारित होती है। जिनका उद्देश्य लोगों को किसी प्रयोजन हेतु लगाना उसे शक्ति सामर्थ देना या फिर उनकी कुशलता का मापन होता है।

- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को अपने सुप्रसिद्ध 'ट्रस्ट विद डेस्टीनी' स्पीच में जनप्रतिनिधियों और सेवाओं पर तमाम जिम्मेदारियां डालते हुए कहा था "गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों से लड़ने और इसे समाप्त करने के लिए हमें एक समृद्ध, प्रजातात्त्विक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना होगा। हम एक ऐसा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करें जिससे हमारे जीवन की हर जरूरत पूरी हो। सुशासन का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और सामाजिक अवसरों का विस्तार होना चाहिए।"
- संक्षेप में जैसा कि मैं मानता हूँ, सुशासन का मतलब न्याय की सुनिश्चितता, सशक्तिकरण, रोजगार और पर्याप्त सेवाएं मुहैया करना है।" जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसे व्यवहार में लागू करने के लिए कुछ लोकतात्त्विक नियमों की जरूरत होती है। लोकतात्त्विक प्रक्रिया को मजबूत और तेज करने के लिए जागरूक नागरिक और सरकार की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी, शक्ति का हस्तांतरण और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। लोकतंत्र की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। जो एक सुशासन में निहित होती हैं। एक लोकतात्त्विक राज्य में सुशासन की आसानी से गारंटी की जा सकती है।
- सरकार की तरफ से यह जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। जब हम लोकतात्त्विक राज्य या लोकतंत्र की विशेषताओं के जरिये आगे बढ़ते हैं तो ये राज्य में एक कारगर सरकार के बजूद की ओर इशारा करता है। एक लोकतंत्र में सरकार को प्रभावी बनाने के लिए शक्ति और उसके कार्यों को अलग-अलग रखे जाने की जरूरत है। जवाबदेही, पारदर्शिता, भविष्यवाणी, भागीदारी, कानून का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और शक्तियों का बंटवारा सुशासन के कुछ मूलभूत तत्व हैं। सुशासन की जरूरत सार्वभौमिक तौर पर स्वीकार की जाती है।
- सुशासन हर लोकतंत्र का मूलस्तंभ होता है। यह इस बात को परिलक्षित करता है कि राज्य और उसकी मशीनरी को लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। सुशासन की अवधारणा में कई मुद्दे शामिल होते हैं जैसे आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक। यह सकारात्मक, उत्तरदायी और संवेदनशील

प्रशासन पर निर्भर करता है। ये मूल्यों से जुड़ी अवधारणा हैं जो सार्वजनिक हित, सार्वजनिक कल्याण और सार्वजनिक अच्छाई पर जोर देता है।

- शासन प्रत्येक लोकतात्त्विक देश का मुख्य पहलू होता है। विभिन्न संस्थानिक क्षेत्रों में अलग-अलग तरह की शक्तियों के इस्तेमाल का यही तरीका है। मौजूदा दौर में शासन की भूमिका बदल गई है। यह अब स्वच्छ शासन की तर्ज पर काम करता है और अपने स्वभाव में तकनीक भी प्रबंधकीय हो गई है। जो विकेंट्रीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है और यह केवल और केवल एक लोकतंत्र में ही संभव है।
- शासन की कोई एक मान्य और निश्चित परिभाषा दे पाना कठिन है। फिर भी शासन को व्यापक दृष्टिकोण से परिभाषित करने के लिए आवश्यक बिंदुओं के आधार पर कह सकते हैं कि 'शासन संचालन की गतिविधि को शासन कहते हैं।' या दूसरे शब्दों में कहें तो, 'राज करने या राज चलाने को शासन कहा जाता है।'
- शासन संबंध उन निर्णयों से हैं, जो उम्मीदों को परिभाषित करते हैं शक्ति देते हैं, या प्रदर्शन को प्रमाणित करते हैं। यह एक अलग प्रक्रिया भी हो सकती है। लोग इन प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संचालन के लिए सरकार की स्थापना करते हैं।

### शासन शब्द की उत्पत्ति

- शासन (Governance) शब्द यूनानी क्रिया 'कुबेरनाओ' (Kubernao) से लिया गया है जिसका अर्थ 'परिचालन' है और इसे पहली बार प्लेटो ने सांकेतिक रूप से इस्तेमाल किया था। फिर यह शब्द लैटिन भाषा में प्रसारित हुआ और वहाँ से कई भाषाओं में पहुंच गया।
- विश्व बैंक के अनुसार (1992) "समाज की समस्याओं और मामलों के प्रबंधन के लिए राजनीतिक अधिकार और संस्थागत संसाधनों का इस्तेमाल किया जाना ही शासन है।"
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP- 1997) के अनुसार "प्रत्येक स्तर पर एक देश के सभी मामलों का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार का प्रयोग करना ही शासन है।"
- यह एक जटिल तंत्र, प्रक्रियाओं और संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। इन्हीं का प्रयोग करके नागरिकों और समूहों के हितों उनके कानूनी अधिकारों उनको दायित्वों की पूर्ति और उनके मतभेदों में मध्यस्थता करती है।"
- शासन में उन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनसे सरकारों का चयन, निगरानी और परिवर्तन किया जाता है, प्रभावी ढंग से अच्छी नीतियां बनाना और उन्हें लागू करने की सरकार की क्षमता साथ ही नागरिकों का सम्मान और उनके बीच आर्थिक

व सामाजिक मेल-मिलाप के लिए संस्थाएं तैयार करना।

“संस्थाओं, प्राधिकारों के ढांचे का इस्तेमाल और यहां तक कि संसाधनों को आवंटित करने की साझेदारी और समाज या अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को संचालित या नियंत्रित करने को शासन कहा जा सकता है।”

#### सरकार बनाम शासन

- अगर सरकार और शासन शब्दों में अंतर किया जाए, तो एक सरकार जो करती है, वहीं शासन है। यह कोई भी भू-राजनीतिक सरकार (राष्ट्र-राज्य), कारपोरेट सरकार, सामाजिक-राजनीतिक सरकार (जाति परिवार इत्यादि) या किसी भी अन्य प्रकार की सरकार हो सकती है। परंतु शासन शक्ति और नीति के प्रबंधन की गतिज प्रक्रिया है।
- जबकि सरकार वह माध्यम है जो इस प्रक्रिया को अंजाम देती है, वैसे सरकार शब्द का इस्तेमाल शासन के पर्यायवाची शब्द के तौर पर भी किया जाता है।

#### शासन बनाम प्रक्रियाएं

- एक प्रक्रिया के रूप में शासन किसी भी आकार के संगठन में काम कर सकता है एक अकेले व्यक्ति से लेकर पूरी मानव जाति तक और यह किसी भी उद्देश्य के लिए काम कर सकता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा और फायदे के लिए हो अथवा नहीं।
- जबकि शासन का तर्कसंगत या बुद्धिसंगत उद्देश्य तो होना ही चाहिए तथा खराब परिस्थितियों से बचते हुए आर्थिक नीति देने की कोशिश करना चाहिए।

#### शासन और राजनीति

- शासन और राजनीति की अवधारणाओं में स्पष्ट अंतर होता है। राजनीति में वे प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिनसे लोगों का एक समूह शुरूआत में विभिन्न मतों और स्वार्थों के साथ किसी सामूहिक फैसलों पर पहुंचता है, जो आमतौर पर समूह के लिए जरूरी होता है और जिसे सार्वजनिक नीति के तौर पर लागू किया जाता है। वहीं दूसरी ओर शासन इसकी विरोधी चीजों के बजाए शासन करने वाले प्रशासनिक और क्रिया-मूलक तत्वों के बारे में है।
- राजनीति और प्रशासन के बीच पारंपरिक अलगाव को लेकर इस तरह तर्क की संभावना हमेशा बनी रहती है, वर्तमान में शासन जिस तरह से व्यवहार और नीति में है, वे कभी-कभी इस भेद पर सवाल खड़े करते हैं, जो यह बताता है कि शासन और राजनीति दोनों में ही सत्ता के पहलू शामिल हैं।

#### शासन के भागीदार

- शासन का सामान्य तौर पर मतलब है निर्णय की वो प्रक्रिया और तरीका जिसके जरिये फैसलों को लागू या नहीं लागू करना है। कार्य या शासन के तरीके खासकर आधिकारिक निर्देश या नियंत्रण को शासन कहा जाता है।

विश्व बैंक ने शासन के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख आयाम बताएं हैं-

- सरकार की संरचना-सरकार के तीनों अंगों के बीच विधि एवं व्यावहारिक शक्ति विभाजन।
- जवाबदेही की संरचना।
- राजनीतिज्ञों की निर्वाचन में भाग लेने की योग्यता।
- लोकनीतियों की गुणवत्ता।
- लोक क्षेत्रक प्रबंधन (Public Sector Management)।
- सरकारी क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्रों की जैसी प्रतिस्पर्धा।
- जन भागीदारी (निर्णयन एवं क्रियान्वयन दोनों में)।

#### शासन के महत्वपूर्ण पक्ष

- भारत के संदर्भ में शासन के कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनका समाधान अभी तक हासिल नहीं किया जा सका। फिर भी शासन के कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित पक्ष हैं जिन पर शासन के दौरान विशेष ध्यान रखा जा रहा है-
- विधि का शासन।
- जवाबदेही।
- पारदर्शिता।
- रणनीतिक दृष्टिकोण।
- कार्यकुशलता और प्रभावकारिता।
- समानता।
- सहमति निर्माण।
- जन भागीदारी।
- प्रत्योक्तर।

#### सुशासन की अवधारणा और उसके तत्व

- शासन की अवधारणा समय और नये सार्वजनिक प्रबंधन के साथ बदल गई है। विश्व बैंक के मुताबिक शासन को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि जिसमें उसका काम अब विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का प्रबंधन करना भर है।
- इसके लिए जरूरी शक्ति का उसे इस्तेमाल करना है। शासन की अवधारणा एक नए ढांचे के निर्माण की ओर इशारा करती है। जो बाहरी तरीके से थोपा नहीं जा सकता है। बल्कि यह शासन के बहुल कारकों के आपस में संवाद का नतीजा है।
- राजनीतिक काल का तरीका अधिकार को इस्तेमाल करने का वह तरीका है जिसमें वह सरकारों की क्षमता को डिजाइन करने, बनाने और नीतियों को लागू करने और उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है।
- आर्थिक विकास और सहयोग संगठन (ओईसीडी) ने शासन को चार प्रमुख हिस्सों में बांटा है। पहला सरकार की साख, दूसरा राजनीतिक जवाबदेही और सरकार का अधिकारिक तत्व, तीसरा नीतियों को बनाने और सेवा देने में सरकार की क्षमता और चौथा मानवाधिकार और कानून का सम्मान।
- अच्छा प्रशासन या सुशासन (गुड गवर्नेंस) आधुनिक दौर का ‘युग नारा’ बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक से लेकर गांव-वासियों तक एक ही सर्वव्यापी मुद्दा है कि किस प्रकार

# मुख्य परीक्षा विशेष आपदा प्रबंधन

## केरल में बाढ़

- कुदरत के कहर के बाद केरल मुश्किल हालात से धीरे-धीरे उबर रहा है। हालांकि, 100 वर्ष की सबसे विनाशकारी बाढ़ की वजह से केरल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
- केरल जैसे राज्य में इस तरह की बारिश और बाढ़ एक असाधारण घटना है।
- केंद्र सरकार ने केरल की बाढ़ को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है।
- भीषण त्रासदी से राज्य को करीब 20 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है।
- इन सबके बीच इस बाढ़ ने राज्य के लिए बेहद अहम बुनियादी ढांचे की कमर तोड़ दी है।  
पर्यटन उद्योग को भारी क्षति
- केरल में इस त्रासदी का सबसे ज्यादा नुकसान यहां के पर्यटन उद्योग पर पड़ा है।
- राज्य में राजस्व के हिसाब से पर्यटन उद्योग काफी अहम है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के जीडीपी में करीब दस फीसद का योगदान पर्यटन उद्योग का है।
- लाखों परिवारों का जीवनयापन इस उद्योग से जुड़ा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में आई बाढ़ के चलते करीब 80 फीसद पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है।
- इसके अलावा राज्य में पर्यटन से जुड़ा दूसरा आधारभूत ढांचा भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है।
- इसमें हवाई, रेल और मेट्रो शामिल है। इस सेक्टर को भी भारी नुकसान हुआ है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पर्यटन उद्योग से जुड़ा हुआ है।

### जानमाल की भारी तबाही

- इसके अलावा राज्य में मुख्य मार्ग और सहायक मार्ग समेत करीब दस हजार किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं।
- इसके साथ ही राज्य के 134 पुल भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। एक लाख से ज्यादा घर तहस-नहस हो गए।
- राज्य में करीब 40 हजार हेक्टेयर से भी ज्यादा की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इंसानों के साथ ही 50 हजार मवेशी और दो लाख से ज्यादा पोल्ट्री फार्म को नुकसान हुआ है।

### 41 छोटी बड़ी नदियां पर 80 बाँध

- केरल में कम समय में भारी बारिश तो बाढ़ के लिए जिम्मेदार

है ही। इसके अलावा बाँधों से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने से हालात और बिगड़ गए।

- केरल में 41 छोटी बड़ी नदियां हैं, जो अरब सागर में मिलती हैं। इन नदियों पर 80 बाँध बनाए गए हैं।
- ज्यादा बारिश से इडुक्कीय और इदमलयार समेत करीब 80 बाँधों में जल का स्तर क्षमता से ज्यादा हो गया, जिससे बाँधों से पानी छोड़ना पड़ा।
- इन सभी बाँधों के गेट खोलने की वजह से राज्य में बाढ़ के हालत और भयावह हो गए।
- केरल के 14 में से 13 जिलों में बाढ़ का असर देखा गया है। केरल के 9 जिलों समुद्री तट से लगे हुए हैं।
- इस बाढ़ में सबसे ज्यादा तबाही इडुक्की जिले में हुई। इसके अलावा मलपुरम, कोट्टायम और एर्नाकुलम में भारी तबाही हुई। त्रासदी से नुकसान को किया जा सकता था कम।
- जलस्तर बढ़ने के साथ ही एक-एक करके इडुक्की बाँध के पांचों गेटों को खोला गया, ऐसा 26 सालों के बाद किया गया। इससे पहले 1992 में यहां के सभी गेटों को खोले गया था।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बाँध से समयबद्ध तरीके धीरे-धीरे पानी छोड़ा जाता केरल में बाढ़ इतनी विनाशकारी नहीं होती।
- इसके अलावा बाँध के पानी छोड़े जाने से पहले स्थानीय लोगों को पहले से ही एलर्ट करने की जरूरत थी।
- केरल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह माना है कि बाँध का पानी अचानक छोड़े जाने के कारण ऐसा हुआ है।
- इसके अलावा बाँधों में कितना पानी है और आपात स्थिति में कितना पानी छोड़ा जाना है। इसकी जानकारी भी पूर्व में दी जानी चाहिए थी।

### माधव गाडगिल समिति ने क्या सिफारिश की थी?

- 2011 में माधव गाडगिल समिति ने पारिस्थिति के लिहाज से इस इलाके को पूरी तरह से संवर्द्धनशील करार दिया था।
- पश्चिमी घाट के पर्यावरण को लेकर सरकार ने पहले माधव गाडगिल समिति गठित की थी।
- इस समिति ने 2011 के मध्य तक रिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर उसे सरकार को सौंप दिया था, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने लंबे समय तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही इसे सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी किया।

- अंत में न्यायालय ने इन सिफारिशों पर काम करने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए।
- अगर गाड़गिल समिति की सिफारिश अमल में होती तो शायद केरल को बड़ी त्रासदी से बचाया जा सकता था। लेकिन उस वक्त केरल समेत इन राज्यों ने माधव गाड़गिल समिति की रिपोर्ट का विरोध किया था, जिसने पश्चिमी घाटों को पारिस्थितिकी के लिए पूरी तरह संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया था। सीमित ने खनन एवं अन्य विकास गतिविधियों का रोकने का पक्ष लिया था।
- तब सरकार ने आगे की दिशा तय करने के लिए कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया, जिसने अप्रैल, 2013 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।
- प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक और योजना आयोग के सदस्य के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले नौ सदस्यीय समूह का गठन केरल सहित कई राज्यों के विरोध को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने किया था।
- दरअसल, भारत की 1600 किलोमीटर लंबी पश्चिमी घाट पर्वतीय शृंखला को संयुक्त राष्ट्र की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है।
- पश्चिमी घाट पर्वतीय शृंखला को विश्व में जैव विविधता के 8 सर्वाधिक संपन्न क्षेत्रों में से एक माना जाता है।
- इस शृंखला के बन भारतीय मानसून की स्थिति को प्रभावित करते हैं।
- गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होने वाली पश्चिमी घाट शृंखला महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर गुजरती है तथा कन्याकुमारी में समाप्त होती है।

#### भारत में बाढ़-नियंत्रण: आवश्यकता एवं उपाय

- वर्षा के पानी को जलग्रहण क्षेत्रों (कैचमेन्ट एरिया) में ही जगह-जगह चेक-डैम, मिट्टी के बाँध एवं बर्धियों तथा जलाशयों का निर्माण करके बाढ़ को नियन्त्रित किया जा सकता है, लेकिन भारत में इस दिशा में किये गये प्रयास अपर्याप्त एवं अनियोजित हैं। जिन क्षेत्रों में ऐसा कर लिया गया है वहाँ बाढ़ की विभीषिका काफी हद तक कम हो गयी है।
- नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो विश्व के अनेक भागों में करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को निगल जाती है। गाँव के गाँव पलक झपकते ही जल-समाधि ले लते हैं। हरे-भरे खेत, लहलहाती फसलें, बाग, घर-मकान, देखते-देखते नदियों की तेज धारा के साथ बह जाते हैं। अनगिनत पेड़-पौधे एवं दुर्लभ बनस्पतियाँ पानी के तीव्र बहाव के साथ बिलीन हो जाते हैं। हजारों व्यक्ति एवं लाखों पशु बाढ़ की भेट चढ़ जाते हैं। यद्यपि मानव ने अनेक क्षेत्रों में नित-नयी खोजों से असंख्य समस्याओं का निदान खोज लिया है, बाढ़ की अग्रिम चेतावनी देने के लिये सुदूर-संवेदी उपग्रहों तक का प्रयोग किया जाने लगा है, तथापि बाढ़ से होने वाली विनाशलीला को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है।

#### भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र

- भारत विश्व के उन देशों में से है जहाँ प्रतिवर्ष किसी न किसी भाग में बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं सिंधु नदी तन्हों की नदियों से असम, प. बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब में भयंकर बाढ़ आती है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान भी प्रायः बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं।
- भारत में लगभग 400 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ के खतरे वाला है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आठवां भाग है।
- प्रतिवर्ष औसतन 77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है; 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें नष्ट हो जाती हैं।
- सर्वाधिक विनाशकारी वर्षा में लगभग 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें नष्ट होने का अनुमान है।

#### जल अधिकता का प्रभाव

- भारत में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से जन-धन की अपार क्षति होती है। योजना आयोग के एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष औसतन 1,439 लोग बाढ़ के कारण मारे जाते हैं। वर्ष 1977 में आयी भीषण बाढ़ से 11,316 लोग मौत के शिकार हुए थे।
- वर्ष 1953-87 की अवधि में बाढ़ के कारण फसलों, मकानों, पशुओं तथा सार्वजनिक सुविधाओं को पहुँचने वाली अनुमानित क्षति 26,800 करोड़ रुपये है। बाढ़ से होने वाली अधिकतम वार्षिक क्षति 4,059 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 1985 में हुई थी।
- राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वर्ष 1990 में 49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ और उस पर 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल नष्ट हो गयी।
- इस वर्ष लगभग 162 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए और इनमें से 882 लोग मारे गये; 1,22,498 पशुओं की मृत्यु हुई। फसलों, मकानों एवं जन सुविधाओं सहित लगभग 41.25 करोड़ रुपये की क्षति हुई।

- वर्ष 1993 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा में अभूतपूर्व बाढ़ आयी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गये तथा करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों, प. बंगाल एवं बिहार में बाढ़ की विनाशलीला प्रतिवर्ष की भाँति जारी है।

#### बाढ़ एवं जल अधिकता के लिये उत्तरदायी कारण

- भारत में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और उससे जल अधिकता की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ एवं जल अधिकता की स्थिति के लिये कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है।
- इसके लिये कुछ कारण जहाँ प्राकृतिक हैं, वहाँ कुछ कारण मानव के स्वयं के कृत्यों की देन हैं।
- प्राकृतिक कारणों में असमान वर्षा सर्वाधिक प्रमुख कारण है। भारत एक असमान वर्षा वाला देश है। यहाँ का मौसम विशेष प्रकार का है। यहाँ 70 से 90 प्रतिशत वर्षा मॉनसून के चार महीनों-जून से सितम्बर में ही हो जाती है। यह भी नहीं कि सभी क्षेत्रों में इन महीनों में एक सी वर्षा होती हो, कहीं बहुत

कम तो कहीं बहुत अधिक होती है।

- विगत वर्षों में सामान्य अथवा सामान्य से अधिक मौसम-विज्ञानी उपखण्डों में अंतर आता रहा है। जब किसी वर्ष कुछ उपखण्डों में एक साथ सामान्य से अधिक वर्ष हो जाती है तो उस क्षेत्र में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब उस क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों के जल-स्तर में होने वाली वृद्धि नदियों की निचली धारा वाले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है।

#### बाढ़ के कारण

- 1. अत्यधिक वर्षा 2. वृष्टि प्रस्फोट 3. चक्रवात 4. बहुद जलग्रहण क्षेत्र 5. अपर्याप्त अपवाह प्रबंधन व्यवस्था 6. भूस्खलन 7. विसर्पों का निर्माण 8. बृहन क्षमता में कमी 9. हिमनद झीलों का निर्माण एवं उनका टूटना 10. वन विनाश 11. दोषपूर्ण कृषि पद्धति 12. दोषपूर्ण सिंचाई प्रणाली 13. नगरीय क्षेत्र का बढ़ना 14. विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य 15. मानव द्वारा नदियों के बाढ़ क्षेत्र में बसितों का निर्माण।
- बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन
- स्वतंत्रता मिलने के बाद 1949 और 1954 में आयी बाढ़ों ने सरकार को इनके प्रबंधन को और विस्तृत करने के लिए प्रेरित किया तभी से कई परियोजनाएं बाढ़ प्रबंधन के लिए लागू की गयीं। 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग बना।
- उपरोक्त सभी बाढ़ पूर्व उपाय हैं। इनके अतिरिक्त बाढ़ पूर्व उपायों में लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, स्थानीय राहत केन्द्रों की स्थापना, बाढ़ आने की स्थिति में मनुष्यों एवं जंतुओं के लिए आश्रय स्थली का चयन इत्यादि भी शामिल हैं।

#### बाढ़ प्रबंधन के प्रमुख उपाय

1. वृक्षारोपण करना एवं वन विनाश पर रोक लगाना।
2. प्रवाह में कमी लाना
3. बाँध बनाना एवं पुराने बाथों का पुनरुद्धार
4. भूमिगत जल के उपयोग में परिवर्तन
5. बाढ़ की भविष्यवाणी (केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ के पूर्वानुमान एवं चेतावनी की एक देशव्यापी प्रणाली को स्थापित किया है। इसमें 157 केंद्र बनाये गए हैं जो 62 नदी बेसिन में अवस्थित हैं)
6. बाढ़ क्षेत्र का प्रबंधन
7. वैधानिक उपाय

- अधिकाधिक भूमि को खेती योग्य बनाने एवं घरेलू व व्यावसायिक कार्यों में लकड़ी का प्रयोग करने लिये जंगलों को साफ किया गया तथा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गयी।
- इससे पर्यावरण में असन्तुलन उत्पन्न हुआ है। इससे जहाँ एक ओर मॉनसून प्रभावित हुआ है, वहाँ दूसरी ओर भू-क्षरण एवं नदियों द्वारा कटाव किये जाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है।
- अत्यधिक वर्षा होने पर शहरी क्षेत्रों में होने वाले जल-भराव एवं हानि के लिये तो मानव ही पूरी तरह से उत्तरदायी है। नदियों के

किनारे बसे हुए कस्बों एवं शहरों में विगत वर्षों में जो विस्तार एवं विकास हुआ है उसमें पानी की उचित निकासी की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

- गन्दे नालों की सफाई न किए जाने से उनकी पानी बहा ले जाने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है।
- नगर नियोजन का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें शहर के निचले इलाकों में मकान न बनायें जाकर वहाँ पार्क एवं खेलकूद के मैदान आदि बनाए जाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।
- जैसे-जैसे शहरों का आकार बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इनमें गन्दी बसितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
- अधिकांश गन्दी बसितों निचले इलाकों, नालों के किनारे, तटबंधों के नीचे बस गयी हैं। बाढ़ आने पर सर्वाधिक हानि इन्हीं बसितों में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ती है।
- शहर के जो गन्दे नाले नदियों में गिरते हैं उनमें बाढ़ के पानी के विपरीत बहाव को रोकने के उपाय नहीं किये गये हैं।
- अधिकांश नगरों में नदियों के पानी को शहर में प्रवेश न करने देने के लिये टटबंध आदि भी नहीं बनाये गये हैं।
- बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिये प्रतिरोधात्मक उपाय न अपनाकर बाढ़ आने पर बचाव एवं राहत कार्यों पर अधिक ध्यान दिया गया है।
- वर्षा के पानी को जलग्रहण क्षेत्रों (कैचमेन्ट एरिया) में ही जगह-जगह चेक-डैम, मिट्टी के बाँध एवं बंधियों तथा जलाशयों का निर्माण करके बाढ़ को नियन्त्रित किया जा सकता है।
- लेकिन, भारत में इस दिशा में किये गये प्रयास अपर्याप्त एवं अनियोजित हैं। जिन क्षेत्रों में ऐसा कर लिया गया है वहाँ बाढ़ की विभीषिका बहुत बड़ी सीमा तक कम हो गयी है।
- भारत में बाढ़-नियंत्रण हेतु किये गये उपाय
- भारत सरकार एवं राज्य सरकारें बाढ़ की विभीषिका को कम-से-कम करने के लिये योजना काल से ही प्रयत्नशील हैं।
- प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अलग से धन की व्यवस्था की जाती है। इस दिशा में किये गये प्रयासों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

#### राष्ट्रीय बाढ़-प्रबंधन कार्यक्रम

- सन 1954 की भीषण बाढ़ के बाद भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय बाढ़-प्रबंधन कार्यक्रम की घोषणा की।
- यह कार्यक्रम तीन चरणों में विभाजित किया गया है-
  - (i) तात्कालिक,
  - (ii) अल्पकालिक
  - (iii) दीर्घकालिक।
- तात्कालिक बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ से सम्बंधित आँकड़ों के संकलन तथा आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा उपायों तक सीमित है।
- अल्पकालिक चरण में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नदियों के किनारे तटबंधों का निर्माण किया जाता है, जबकि दीर्घकालिक चरण में वर्षा के पानी का भंडारण; नदियों एवं सहायक नदियों पर

जलाशयों के निर्माण कार्य आदि किये जाते हैं।

- इन कार्यक्रमों पर पहली योजना में 133.77 करोड़, रुपये, दूसरी योजना में 49.15 करोड़ रुपये, तीसरी योजना में 86 करोड़ रुपये, चौथी योजना में 171.8 करोड़ रुपये, पाँचवीं योजना में 298.61 करोड़ रुपये, छठीं योजना में 596.07 करोड़ रुपये तथा सातवीं योजना में 941.58 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है।
- सन 1954 से मार्च 1989 तक लगभग 15,600 किलोमीटर लम्बे तटबंधों का निर्माण किया जा चुका है, 33,100 किलोमीटर लम्बी जल-निकासी नालियाँ खोदी गयी हैं, 765 नगर-बचाव हेतु बनरोपण कार्य किया गया है तथा 4,705 ग्रामों को ऊँचाई वाले सुरक्षित स्थानों पर बसाया गया है।

#### जलाशयों का निर्माण

- जिन नदियों की निचली धाराओं में सर्वाधिक एवं विनाशकारी बाढ़ आती थी, उन पर बड़े-बड़े बाँध बनाकर जलाशयों में वर्षा के पानी को रोकने की व्यवस्था की गयी है।
- इन वृहत्-स्तरीय परियोजना, में महानदी पर हीराकुण्ड बाँध, दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं सतलुज पर भाखड़ा बाँध, व्यास पर पांग बाँध तथा ताप्सी पर उकाइ बाँध प्रमुख हैं।

#### समुद्री क्षेत्रों में बाढ़-नियंत्रण

- केरल, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के समुद्र-तटीय क्षेत्रों में समुद्री बाढ़ आती है। समुद्री तटों पर क्षरण को रोकने की कई परियोजनाएँ प्रारम्भ की गयी हैं।
- केरल राज्य में सर्वाधिक प्रभावित 320 किलोमीटर लम्बे समुद्री तट में से 311 किलोमीटर लम्बे तट को मार्च, 1990 के अंत तक प्रतिरक्षित कर लिया गया है।
- इसके अतिरिक्त 42 किलोमीटर लम्बी सामुद्रिक दीवार को मजबूत बनाया गया है।
- इसी प्रकार कर्नाटक राज्य में मार्च 1990 के अंत तक 73.3 किलोमीटर लम्बे समुद्री तट को सामुद्रिक क्षरण से रोकने हेतु बचाव कार्य किये गये हैं।

#### बाढ़ का पूर्वानुमान एवं चेतावनी

- बाढ़ प्रबंध हेतु पूर्वानुमान लगाना और पहले से चेतावनी देना महत्वपूर्ण तथा किफायती उपायों में से एक है।
- भारत में यह कार्य सन 1959 से ही किया जा रहा है। केन्द्रीय जल आयोग ने देश की अधिकांश अन्तर्राजीय नदियों पर कई बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी केन्द्र स्थापित किये हैं।
- इस समय 157 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र कार्यरत हैं, जो देश की 72 नदी बेसिनों में हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5,500 बाढ़ सम्बंधी पूर्वानुमान जारी किये जाते हैं।
- इनमें से 95 प्रतिशत अनुमान शुद्धता की स्वीकृत भी प्राप्त कर चुके हैं।

#### ब्रह्मपुत्र बाढ़-नियंत्रण बोर्ड

- ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटी देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाला प्रमुख क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बाढ़-नियंत्रण का मास्टर प्लान

तैयार करने और इसे कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा सन् 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड गठित किया है।

#### 12वीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़-नियंत्रण हेतु अपनायी

जाने वाली कार्यनीति के प्रमुख तत्व निम्न हैं :

- जलाक्रांत क्षेत्रों की स्थिति तथा स्वरूप का पता लगाने तथा मौजूदा सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में लवण/खारी जमीनों का मूल्यांकन करने के लिये एक क्रमबद्ध सर्वेक्षण किया जायेगा।
- ऐसी भूमि का उद्धार करना और किफायती ढंग से उसकी उत्पादन क्षमता बहाल करना एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस पर अधिक जोर दिया जायेगा।
- राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ सम्बंधी पूर्वानुमानों और चेतावनी प्रणाली का अधिक क्षेत्रों तक विस्तार किया जायेगा।
- राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न नदी घाटियों के लिये बाढ़ नियंत्रण सम्बंधी मास्टर प्लान तैयार किये जायेंगे।
- कुछ नदी घाटियों के लिये पहले से तैयार किये गए मास्टर प्लानों को और अधिक विस्तृत बनाने और, जहाँ आवश्यक है, अद्यतन करने के बाद विस्तृत बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।
- राज्य सरकारों को बाढ़-नियंत्रण निर्माण कार्यों का बड़े पैमाने पर कार्योत्तर मूल्यांकन करना चाहिए।
- इन मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर प्रशासनिक तथा तकनीकी दोषों के बारे में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

#### बाढ़-नियंत्रण हेतु कुछ अन्य सुझाव

- बाढ़ प्राकृतिक आपदा हो सकती है। विकास प्रक्रिया के कतिपय दोषों के कारण इसका स्वरूप विकराल भी हो सकता है, लेकिन इस पर नियंत्रण करने का कार्य कठिन होते हुए भी, दुर्जय नहीं है। सुव्यवस्थित आयोजन एवं कार्यनीति को अपना कर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जा सकती हैं कि बाढ़ एवं जल अधिकता की स्थिति उत्पन्न ही न हो।
- बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा भले ही हो लेकिन इस पर प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रण करके इससे होने वाली क्षति को एक बहुत बड़ी सीमा तक कम किया जा सकता है।
- बाढ़-नियंत्रण हेतु दो प्रकार के उपाय अपनाने होंगे, 1. निरोधात्मक तथा, 2. राहत एवं बचाव कार्य।
- निरोधात्मक उपायों का सम्बन्ध ऐसे दीर्घकालिक एवं स्थायी उपायों से है जिन्हें अपनाने से बाढ़ एवं जल का आप्लावन की स्थिति उत्पन्न न होने देने में सहायता मिलेगी।
- इसके लिये नदियों, सहायक नदियों तथा नालों पर जगह-जगह पर चेक-डैम बनाकर जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि वर्षा के पानी को नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में ही प्रभावपूर्ण ढंग से रोका जा सके।
- इसके कई लाभ होंगे, जैसे-प्रथम, अत्यधिक वर्षा होने पर भी

- नदियों में पानी की मात्रा को नियंत्रित करके निचली धाराओं में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से रोकी जा सकेगी।
- द्वितीय; जब नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में ही पानी के बहाव को नियंत्रित कर लिया जायेगा तो पानी के तीव्र बहाव के साथ होने वाला भू-क्षरण भी कम होगा।
  - तृतीय, नदियों द्वारा उपजाऊ भूमि के कटाव की समस्या स्वतः नियंत्रित एवं न्यूनतम हो जाएगी।
  - चतुर्थ, जगह-जगह पर बनाए गए जलाशयों से उस क्षेत्र के भूमिगत जल स्रोतों की पुनःआपूर्ति होती रहेगी, जिससे उस क्षेत्र के भूमिगत जल का स्तर नीचे नहीं जायेगा।
  - इससे उन क्षेत्रों को बहुत अधिक लाभ पहुँचेगा, जहाँ भूमिगत जल स्रोतों का अतिरोहन किए जाने के परिणामस्वरूप जलस्तर में निरन्तर गिरावट आती जा रही है।
  - पंचम, इस प्रकार के कार्यों से रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे। निर्माण कार्यों से लोगों को तत्काल प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। अप्रत्यक्ष रूप से जलाशयों में मत्स्य-पालन प्रारम्भ कर देने से रोजगार प्राप्त होगा तथा मत्स्य उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
  - निरोधात्मक उपायों के दूसरे वर्ग में वे उपाय आते हैं, जिन्हें अपनाकर बाढ़ के पानी को क्षेत्र विशेष में प्रवेश करने देने से रोका जा सकता है।
  - यह विधि नदियों के किनारे बसे नगरों, कस्बों एवं ग्रामों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिये अधिक उपयोगी है। इसके लिये तटबंधों का निर्माण कराया जाना चाहिए।
  - नगर नियोजन एवं स्थल विकास नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि निचले इलाके पार्क एवं खेल के मैदान, हरित पट्टी आदि के लिये आरक्षित कर दिये जाएँ, जबकि मकान एवं व्यावसायिक भवन आदि ऊँचे स्थानों पर बनाये जाएँ।
  - पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। नदियों में गिरने वाले नालों में बाढ़ के पानी के विपरीत बहाव को रोकने की व्यवस्था की जाए। गन्दे नालों के किनारे, तटबंधों के नीचे, निचले स्थानों पर लोगों के बसने को रोका जाए।
  - छोटे जलग्रहण क्षेत्रों के लिये जलीय आँकड़ों पर नजर रखने, मिट्टी के छोटे बाँधों के मानकीकरण, अधिक बाढ़ वाले पानी का निपटान करने के लिये व्यवस्था और बेहतर वितरण प्रणालियों को विकसित करने की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - बाढ़-नियंत्रण के सम्बन्ध में बहुत से राज्यों ने नदी अनुसंधान संस्थानों को प्रायोजित किया है। परन्तु कुछेक को छोड़कर ऐसे संस्थान निरन्तर अनुसंधान और विकास सम्बन्धी प्रयासों में अधिक योगदान नहीं दे पा रहे हैं।
  - इन संस्थानों द्वारा फोटोग्राफैट्री विधि तथा उपग्रहों से प्राप्त आँकड़ों एवं चित्रों की सहायता से बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों में विस्तृत मानचित्र बनाकर जलनिकासी एवं जलाशय निर्माण की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए तथा तदनुसार बाढ़ हेतु मास्टर प्लान तैयार किये जाने चाहिए।
  - बाढ़-प्रबंध योजनाओं को एकीकृत दीर्घकालिक योजना के ढाँचे के अन्तर्गत और जहाँ उपयुक्त हो वहाँ सिंचाई, विद्युत एवं घरेलू जल आपूर्ति जैसी अन्य जल संसाधन विकास योजनाओं के साथ मिलाकर आयोजित किये जाने की आवश्यकता है।
  - इससे बाढ़-नियंत्रण योजनाओं की कारगरता को बढ़ाया जा सकेगा तथा उनकी आर्थिक व्यवहार्यता में भी सुधार होगा।
  - निकट भविष्य में पारम्परिक निर्माण कार्यों जैसे-तटबंधों का निर्माण, जलनिकासी, नालियों की खुदाई एवं बाढ़ के क्षेत्र बनाने आदि पर जोर देना जारी रहेगा।
  - तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से इस प्रकार के निवेशों की प्रभावशीलता में सुधार लाने का व्यापक क्षेत्र अभी भी विद्यमान है।
  - इसके लिये यह आवश्यक है कि अब तक लागू की गयी बाढ़-प्रबंध परियोजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि यह जात हो सके कि परियोजना में किए गए बचाव की सीमा तथा गुणवत्ता के बारे में लगाए गए पूर्वानुमानों के सन्दर्भ में परियोजना किस सीमा तक लाभकारी रही है।
  - इस प्रकार के मूल्यांकनों से प्रशासनिक एवं तकनीकी दोषों का भी पता चलेगा, जिन्हें ठीक करना आठवीं योजना में बाढ़-प्रबंध कार्यनीति का सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए।
  - पूर्व में पूरे किये गये निर्माण कार्यों का अनुरक्षण करना, उनकी लागत में किफायत और अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी निरन्तर प्रयास, विशेष रूप से प्राकल्प की लागत प्रभाविता बढ़ाने के लिये, क्योंकि फिलहाल ये अधिकांशतः अनुभव-जन्य आधार पर तैयार किए जाते हैं, आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भावी कार्यनीति में सम्मिलित करना होगा।
  - बाढ़-नियंत्रण का दूसरा पहलू बचाव एवं राहत तथा पुनर्वास कार्यों से सम्बद्धित है। उपग्रहों से प्राप्त चित्रों एवं अन्य पैरामीटरों का प्रयोग करके अब बहुत पहले ही क्षेत्र विशेष में भारी वर्षा होने तथा बाढ़ आदि आने के बारे में चेतावनी दी जा सकती है।
  - इस कार्य में मौसम-विज्ञान विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, आकाशवाणी व दूरदर्शन तथा दूर-संचार विभाग के बीच उच्चस्तरीय समन्वय होना चाहिए ताकि लोगों को अग्रिम चेतावनी देकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके।
  - इस प्रकार की चेतावनी देने के लिये आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर विशेष बुलेटिन प्रसारित किए जाने चाहिए।
  - बाढ़ से घिरे लोगों को यथाशीघ्र निकालने, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाकर राहत सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था युद्धस्तर पर की जानी चाहिए। बाढ़ के बाद महामारियों को रोकने के उचित प्रबंध कर लिये जाने चाहिए।
  - बाढ़ से क्षतियों का निर्धारण करने के वर्तमान तरीकों में भी सुधार करने की आवश्यकता है। उपलब्ध आँकड़े अलग-अलग योजनाओं के किसी समूह के लाभ-लागत-अनुपात का निर्धारण करने के लिये पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं कराता है।
  - राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार को

- तीन अलग-अलग अभिनिधारित वर्गों के अन्तर्गत घाटीवार बाढ़ की क्षतियों का मूल्यांकन करना चाहिए, अर्थात् (i) असुरक्षित क्षेत्र, (ii) सुरक्षात्मक निर्माण कार्यों की असफलता के कारण असुरक्षित क्षेत्र, (iii) तटबंध और नदी के बीच क्षेत्र।
- वर्तमान में राज्यों में अलग-अलग विभागों और केन्द्र में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बाढ़ की क्षति के आँकड़े एकत्रित किए जाने से अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - बाढ़-नियंत्रण सम्बंधी कार्यनीति और प्राथमिकताओं की आयोजना के आधार को सुदृढ़ बनाने के लिये क्षेत्र में बाढ़ की क्षति के आँकड़े एकत्र करने, उनका मूल्यांकन करने, उनका रिकार्ड रखने की वर्तमान तकनीकों में सुधार किया जाना चाहिए।

#### निष्कर्ष :

- बाढ़ प्राकृतिक आपदा हो सकती है। विकास प्रक्रिया के क्षेत्रों के कारण इसका स्वरूप विकराल भी हो सकता है, लेकिन इस पर नियंत्रण करने का कार्य कठिन होते हुए भी, दुर्जेय नहीं है।
- सुव्यवस्थित आयोजन एवं कार्यनीति को अपना कर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जा सकती हैं कि बाढ़ एवं जल अधिकता की स्थिति उत्पन्न ही न हो।
- अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है जिसका प्रयोग करके दो या तीन दिन पूर्व ही अधिकाधिक वर्षा होने या बाढ़ आने की चेतावनी देकर लोगों को बाढ़ के खतरों से बचाया जा सकता है तथा बहुत बड़ी सीमा तक बाढ़ से होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है।

#### सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030

- सेंडाई फ्रेमवर्क, ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (एचएफए) 2015-2030 आपदाओं के लिए राष्ट्रों और समुदायों की प्रतिरोध-क्षमता का निर्माण का उत्तराधिकारी है।
- एचएफए, 1989 के प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक के इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर एक्शन तथा एक सुरक्षित भविष्य के लिए योकोहामा रणनीति : प्राकृतिक आपदा रोकथाम, तप्तरता, और शमन के लिए दिशानिर्देशित तथा 1994 में अपनाई गयी इसकी कार्य-योजना तथा 1999 की आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय रणनीति के तहत जारी वैश्विक गति देने के लिए एचएफए का नियोजन किया गया था।

- सेंडाई फ्रेमवर्क का निर्माण उन तत्वों से मिलकर हुआ है, जो एचएफए के तहत राज्यों तथा हितधारकों द्वारा किए गए कार्य के साथ निरंतरता सुनिश्चित करते हैं तथा जैसा मंत्रणाओं एवं वार्ताओं के दौरान तय हुआ था, यह बहुत सारे नवाचारों का सूत्रपात करता है।
- कई टिप्पणीकार आपदा प्रबंधन के बजाय आपदा जोखिम के प्रबंधन पर जोर देने, सात वैश्विक लक्ष्यों की परिभाषा, एक अपेक्षित परिणाम के रूप में आपदा जोखिम में कमी के अतिरिक्त नए जोखिमों की रोकथाम पर केंद्रित लक्ष्य विद्यमान जोखिम को कम करना और प्रतिरोध-क्षमता को दृढ़ करना तथा साथ ही आपदा जोखिम से बचाने और उसे कम करने के लिए राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी आदि के साथ समाज और राज्य को सभी संस्थाओं समेत मार्गदर्शक सिद्धांतों के समूह को, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखते हैं।
- इसके अलावा, प्राकृतिक एवं मानव-जनित संकटों दोनों तथा उनसे संबंधित पर्यावरणीय, तकनीकी तथा जैविक संकटों एवं जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है।
- इस दस्तावेज में शुरू से अंत तक स्वास्थ्य प्रतिरोध-क्षमता को बढ़ावा देने बात है। सेंडाई फ्रेमवर्क निम्नलिखित मुद्दों का भी स्पष्ट उल्लेख करता है: आपदा जोखिम के निवारण, सुभेद्रता तथा संकट के सभी आयामों की बेहतर समझ की जरूरत, राष्ट्रीय मंचों समेत आपदा जोखिम शासन को सुदृढ़ करना, आपदा प्रबंधन जोखिम के लिए जवाबदेही, 'ब्लिड बैक बेटर' के लिए तत्पत्ता, नए जोखिमों के हितधारकों की पहचान, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक विरासत एवं कार्य-स्थल की प्रतिरोध-क्षमता, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता एवं ऋण समेत अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक साझेदारी तथा जोखिम सूचित नीतियाँ एवं कार्यक्रम। नई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) सभी क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों में आपदा जोखिम में कमी को एकीकृत करके सभी स्तरों पर आपदाओं से निपटने के लिए हमारे देश की क्षमता को अधिकतम सीमा तक ले जाएगी।
- एनडीएमपी आपदा प्रबंधन के वैश्विक रुझानों को भी ध्यान में रखेगा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030, भारत जिसका हस्ताक्षरकर्ता है, द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण को भी सम्मिलित करता है।

## भारत में जल प्रबंधन और उसकी चुनौतियाँ

#### मुद्दा क्या है?

- जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना है - H<sub>2</sub>O यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है।

- आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है पर यह ठोस अवस्था (बर्फ) और गैसीय अवस्था (भाप या जल वाष्प) में भी पाया जाता है। पानी जल-आत्मीय सतहों पर तरल-क्रिस्टल के रूप में भी पाया जाता है।


# राज्य छात्रीय

## मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना

**(Physical structure of Madhya Pradesh)**

- भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी मध्य भाग मध्यप्रदेश में आता है। पूर्व की ओर छत्तीसगढ़ का मैदान (छत्तीसगढ़ राज्य) है।
- इसकी पश्चिमी सीमा पर राजस्थान में अरावली की श्रेणियाँ तथा पूर्वी राजस्थान का उच्च प्रदेश तथा दक्षिणी सीमा पर (महाराष्ट्र में) ताप्ती नदी की घाटी और महागढ़ का विस्तृत पठार है। मध्यप्रदेश के इस पठारी इलाके की उत्तरी सीमा गंगा यमुना के मैदान से बनती है, इस मैदान का आंशिक भाग ही मध्यप्रदेश की सीमा में आता है। प्रदेश की उत्तरी सीमा चम्बल नदी तथा दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी द्वारा बनी है।
- स्थिति, जलवायु, मिट्टी, कृषि, खनिज, बनस्पति आदि के संदर्भ में मध्यप्रदेश को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

### मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना



### 1. मध्य उच्च प्रदेश -

- (क) मध्य भारत का पठार
- (ख) बुन्देलखण्ड प्रदेश
- (ग) रीवा-पन्ना का पठार
- (घ) मालवा का पठार
- (ड) नर्मदा सोन घाटी

### 2. सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश - सतपुड़ा मैकाल श्रेणी

- (क) पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी (राजपीपल्या की श्रेणी)
- (ख) पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी
- (ग) मैकाल पठार तथा मैकाल श्रेणी

### 3. पूर्वी पठार

- (क) बंदेलखण्ड का पठार


### 1. मध्य उच्च प्रदेश

- नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार पठार, मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्तरी सीमा साधारणतः यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है।
- यह एक प्रपाती कगार है। विन्ध्याचल, भाण्डेर तथा कैमूर की श्रेणियाँ इसी प्रदेश का भाग हैं, जो नर्मदा सोन पेटी के ठीक उत्तर में हैं।
- विन्ध्याचल श्रेणी की अधिकतम ऊँचाई 881 मीटर है, जो पूर्व की ओर बढ़ने पर कम होती जाती है, अतः भाण्डेर में यह ऊँचाई 752 मीटर तथा कैमूर श्रेणी में 686 मीटर पाई गई है।
- यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जैसे चम्बल, बेतवा तथा केन उत्तर की ओर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश से बहती हुई यमुना में मिल जाती हैं।
- इसलिए मध्य उच्च प्रदेश को गंगा के बेसिन का हिस्सा ही माना जाता है। मध्य उच्च प्रदेश को निम्न उपभागों में बांटा गया है-

#### (क) मध्य भारत का पठार:

- समुद्र तल से लगभग 300 मी. ऊँचाई पर स्थित इस पठार को चम्बल का उपआर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। इस पठार की भौगोलिक विशेषताएँ इस प्रकार से हैं -
- मानचित्रीय स्थिति:  $24^{\circ}00'$  उत्तरी अक्षांश से  $26^{\circ}48'$  उत्तरी अक्षांश तथा  $74^{\circ}50'$  पूर्वी देशांतर से  $79^{\circ}10'$  पूर्वी देशांतर तक? (अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार का तथ्य सुदृश्य नहीं है)
- यह पठार उत्तर में यमुना के मैदान, पूर्व में बुन्देलखण्ड के पठार, पश्चिम में राजस्थान के उच्च भू-क्षेत्र तथा दक्षिण में मालवा के पठार के मध्य स्थित है।


- औसत ऊंचाई: 300 से 500 मीटर।
- क्षेत्रफल: 32896 वर्ग किमी. (प्रदेश का 10.7 प्रतिशत)।
- ज़िले: इस पठारी भाग में श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना तथा शिवपुरी ज़िले सम्मिलित हैं। भिण्ड, नीमच तथा मंदसौर के कुछ भू-भाग भी चम्बल के आर्द्ध प्रदेश में आते हैं।
- चट्टानें: भू-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विंध्यशैल, कड़पा, दक्कन ट्रेप तथा चम्बल नदी द्वारा विक्षेपित मिट्टी से इस पठार का निर्माण हुआ है।
- नदियाँ: चम्बल, पार्वती, कालीसिंध और सिंध इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं।



- मृदा और फसल: यह जलोढ़ मिट्टी की अधिकता वाला क्षेत्र है, जहाँ ज्वार, गेहूँ, सरसों जैसी फसलों को बहुतायत में बोया जाता है। नहरों का जाल इस क्षेत्र को समृद्ध बनाता है।
- वनस्पति: यह प्रदेश का शुष्क एवं कंटीली प्रजाति की वनस्पति वाला क्षेत्र है। खेर, बबूल, करोन्दे एवं पलाश प्रमुख वनस्पतियाँ हैं।
- तापमान एवं वर्षा: जलवायु की दृष्टि से यह अधिक गर्म एवं अधिक ठंडा क्षेत्र है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान

एवं शीतकालीन तापमान तथा वर्षा 55 सेमी. से 75 सेमी. के मध्य प्राप्त होती है।

- खनिज: चीनी मिट्टी, इमारती पत्थर, चूना पत्थर तथा अभ्रक इस क्षेत्र में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज हैं।
- औद्योगिक केन्द्र: मालनपुर, बानमौर, शिवपुरी तथा ग्वालियर जैसे शहरों में सीमेंट, कत्था, चमड़े, और बिस्किट बनाने की इकाईयाँ स्थापित हैं।



- सांस्कृतिक परिदृश्य: ग्वालियर तथा शिवपुरी इस प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केन्द्र हैं यहाँ शिवपुरी को सहरिया जनजाति तथा मानव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध प्राप्त है।
- यह पेटी बृजभाषी रासलीला एवं रामलीला जैसे लोक नाट्यों

- के लिए प्रसिद्ध है।
- (ख) बुन्देलखण्ड क्षेत्र का पठार
- मानचित्रीय स्थिति: 24°06' उत्तरी अक्षांश से 26°22' उत्तरी अक्षांश तथा 77°51' पूर्वी देशांतर से 80°20' पूर्वी देशांतर तक।

# प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा लैखिक

## आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन

### संदर्भ :

- भारत के वित्त मंत्री द्वारा आम बजट 2018 में स्वास्थ्य और मेडिकल योजना शुरुआत की गयी है।
- भारत के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इसका शुभारंभ किया है।
- 10 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। जैसे कि राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत 1 लाख मदद राशि दी जाती थी, अब वही राशि बढ़ा कर 4 लाख कर दी गयी है।
- यह योजना गरीब परिवारों की सहायता के लिए शुरू की गयी है, ताकि किसी भी गरीब परिवार के सदस्य को उपचार करवाने में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े।

### आयुष्मान भारत को मंजूरी

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च 2018 को केंद्र प्रायोजित आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन लांच करने की स्वीकृति दे दी है।
- इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र के सभी मामले शामिल हैं।
- इस योजना में प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपये का लाभ प्रदान किया गया है।
- इस योजना से 10 करोड़ से अधिक परिवार लाभावित होंगे। यह परिवार एस.ई.सी.सी. डाटा बेस पर आधारित गरीब और कमज़ोर आबादी के होंगे।
- एबी-एनएचपीएम में चालू केन्द्र प्रायोजित योजनाओं-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) समाहित होंगी।
- इस योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना भी सम्मिलित होंगी।
- आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2018 या गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2018 को की जाएगी।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार कुल खर्च का 60 फीसदी तो राज्य सरकारें 40 फीसदी रकम खर्च करेंगी। इसका लाभ देश के 50 करोड़ लोगों को मिलेगा।
- आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्य
- आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य वर्ष 2025 तक सम्पूर्ण भारत को रोग मुक्त करके विकास के पथ पर ले जाना है।
- इसके अंतर्गत प्रति वर्ष 50 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना तथा 5 लाख रुपये तक का मेडिकल बीमा कवर देना है।
- भारत सरकार का स्वास्थ्य कार्यक्रम
- आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू लागू की गयी है।
- सत्र 2018 के बजट में वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा की। इसके द्वारा बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जायेगा तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत कमज़ोर व गरीबों लोगों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा।
- आयुष्मान भारत योजना के द्वारा देश को मेडिकल क्षेत्र में कई नए मुकाम हासिल करने का लक्ष्य है, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लगभग 40 प्रतिशत सभी गरीबों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का संकल्प किया गया है।
- केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में इस योजना का सबसे बड़ा योगदान दिया।
- इस योजना के तहत प्रति वर्ष 50 करोड़ गरीब परिवार को इलाज के लिए 5-5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करायी जाएगी।
- हर साल मिलेगा 5 लाख रुपए का कवर। आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का लाभ स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा।
- इस कवर में सभी द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यक्ति (महिलाएं, बच्चे एवं वृद्धजन) छूट न जाए, इसलिए योजना में परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की सीमा नहीं होगी।
- लाभ कवर में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और दाखिल होने के बाद के खर्च शामिल किए जाएंगे।
- बीमा पॉलिसी के पहले दिन से सभी शर्तों को कवर किया जाएगा।
- लाभार्थी को हर बार अस्पताल में दाखिल होने पर परिवहन भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा।
- देश के किसी भी सरकार अस्पताल से उठा सकते हैं लाभ इस योजना का लाभ पूरे देश में मिलेगा और योजना के अंतर्गत कवर किये गये लाभार्थी को पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी/निजी अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी।
- 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच के हर व्यक्ति को मिलेगा लाभ-आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन पात्रता आधारित योजना होगी और पात्रता

- SECC डाटा बेस में वंचन मानक के आधार पर तय की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों में ऐसे परिवार शामिल हैं, जिनके पास कच्ची दीवार और कच्ची छत के साथ एक कमरा हो, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई व्ययस्क सदस्य नहीं है, ऐसे परिवार जिसकी मुखिया महिला है और जिसमें 16 से 59 आयु के बीच का कोई व्ययस्क सदस्य नहीं है, ऐसा परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य है और कोई शारीरिक रूप से सक्षम व्यस्क सदस्य नहीं है, अजा/जजा परिवार, मानवीय आकस्मिक मजूदी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार हैं।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार स्वतः शामिल किये गये हैं जिनके रहने के लिए छत नहीं है, निराश्रित, खेत पर जीवन यापन करने वाले, मैला ढाने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से मुक्त किए गये बंधुआ मजदूर हैं।
  - सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में मिलेगा लाभ लाभार्थी पैनल में शामिल सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में लाभ ले सकेंगे। एबी-एनएचपीएम लागू करने वाले राज्यों के सभी सरकारी अस्पतालों को योजना के लिए पैनल में शामिल समझा जाएगा।
  - कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े अस्पतालों को भी बिस्तर दाखिला अनुपात मानक के आधार पर पैनल में शामिल किया जा सकता है। निजी अस्पताल परिभाषित मानक के आधार पर ऑनलाइन तरीके से पैनल में शामिल किए जाएंगे।
  - पैकेज के आधार पर होगा इलाज-लागत को नियंत्रित करने के लिए पैकेज दर के आधार पर इलाज के लिए भुगतान किया जाएगा।
  - पैकेज दर में इलाज से संबंधित सभी लागत शामिल होंगी। लाभार्थियों के लिए यह कैशलेस और पेपरलेस लेनदेन होगा। राज्य विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों के पास इन दरों में सीमित रूप से संशोधन का विकल्प होगा।
  - हर राज्य में लागू होगी योजना एबी-एनएचपीएम का एक प्रमुख सिद्धांत सहकारी संघवाद और राज्यों को लचीलापन देना है। इसमें सह-गठबंधन के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी का प्रावधान है। इसमें वर्तमान स्वास्थ्य बीमा/केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों (उनकी अपनी लागत पर) की विभिन्न सुरक्षा योजनाओं के साथ उचित एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को एबी-एनएचपीएम के विस्तार की अनुमति होगी।
  - योजना को लागू करने के तौर तरीकों को चुनने में राज्य स्वतंत्र होंगे। राज्य बीमा कंपनी के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से ट्रस्ट/सोसायटी के माध्यम से या मिले जुले रूप में योजना लागू कर सकेंगे।
  - नीति आयोग करेगा अध्यक्षता नीति-निर्देश देने एवं केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय में तेजी लाने के लिए शीर्ष स्तर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद (एबी-एनएचपीएम) गठित करने का प्रस्ताव है।
  - इसमें एक आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन गवर्निंग बोर्ड (एबी-एनएचपीएमजीबी) बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) तथा सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग द्वारा की जाएगी।
  - राज्य स्वास्थ्य ऐजेंसी लागू करेगी योजना-योजना को लागू करने के लिए राज्यों को राज्य स्वास्थ्य ऐजेंसी (एसएचए) की जरूरत होगी। योजना को लागू करने के लिए राज्यों के पास एसएचए रूप में वर्तमान ट्रस्ट/सोसायटी/अलाभकारी कंपनी/राज्य नोडल ऐजेंसी के उपयोग करने का विकल्प होगा या नया ट्रस्ट/सोसायटी/अलाभकारी कंपनी/राज्य स्वास्थ्य ऐजेंसी बनाने का विकल्प होगा। जिला स्तर पर भी योजना को लागू करने के लिए ढांचा तैयार करना होगा।
  - डायरेक्ट व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन एसएचए तक समय पर पहुंचे एबी-एनएचपीएमए के माध्यम से केन्द्र सरकार की ओर से राज्य स्वास्थ्य ऐजेंसियों को पैसे का ट्रांसफर प्रत्यक्ष रूप से निलंब खाते से किया जा सकता है। दिए गए समय सीमा के अन्दर राज्य को बराबर के हिस्से का अनुदान देना होगा।
  - पेपरलेश और कैशलेस ट्रांजेक्शन को मिलेगा बढ़ावा नीति आयोग के साथ साझेदारी में एक मजबूत, अन्तर संचालन आईटी प्लेटफार्म चालू किया जाएगा, जिसमें कागज रहित, कैशलेस लेनदेन होगा।
  - इससे संभावित दुरुपयोग की पहचान/धोखेबाजी और दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी। इसमें सुपरिभाषित शिकायत समाधान व्यवस्था होगी।
  - इसके अतिरिक्त नैतिक खतरों (दुरुपयोग की संभावना) के साथ इलाज पूर्व अधिकार को अनिवार्य बनाया जाएगा।
  - हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना वांछित लाभार्थियों तथा अन्य हितधारकों तक पहुंचे, एक व्यापक मीडिया तथा आउटरिच रणनीति विकसित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, पारंपरिक मीडिया, आईटीसी सामग्री तथा आउटडोर गतिविधियां शामिल हैं।

#### आयुष्मान भारत योजना का प्रमुख प्रभाव

- आबादी के लगभग 40 प्रतिशत को बढ़ा हुआ लाभ कवर/सभी द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल कवर किए जाएंगे। प्रत्येक परिवार के लिए पांच लाख का कवरेज (परिवार के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं)।